प्रेस नोट जनपद प्रतापगढ़ दिनांक- 06.01.2026

प्रेस नोट दिनांक 06.01.2026
थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ़

हत्या का प्रयास के अभियोग से संबंधित 02 अभियुक्तों 01- मो0 अलसहाब व 02- मो0 मोनिस को थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा किया गया गिरफ्तार -
थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा अभियुक्तों को रामलीला मैदान बस अड्डा के पास से गिरफ्तार किया गया-

घटना का संक्षिप्त विवरण -
दिनांक 03.01.2026 को थाना कोतवाली नगर क्षेत्रान्तर्गत पल्टन बाजार में वादी पर मोटर साइकिल सवार आरोपीगणों द्वारा वादी पर रॉड व हथौडे से मारकर घायल करने के प्रकरण में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली नगर में मु0अ0सं0 05/2026 धारा 191 (2)/191 (3)/126 (2)/115(2) बीएनएस बनाम 04-05 व्यक्ति अज्ञात का अभियोग पंजीकृत किया गया था।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा अपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री शैलेन्द्र लाल व सहायक पुलिस अधीक्षक/क्षेत्राधिकारी नगर श्री प्रशान्त राज के पर्यवेक्षण में थाना कोतवाली नगर प्रभारी निरीक्षक श्री सुभाष कुमार यादव के नेतृत्व में उ0नि0 राहुल कुमार मय हमराह का0 सचिन कुमार व का रंजीत कुमार द्वारा देखभाल क्षेत्र/ तलाश वांछित व संदिग्ध व्यक्तियों, वाहनों की चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर मु0अ0सं0 05/2026 धारा 191 (2)/191 (3)/126 (2)/115(2) /109 (1)/352 बीएनएस थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ़ से संबंधित 02 अभियुक्तों 1. मो0 अलसहाब पुत्र अब्दुल मुबीन निवासी बेगम वार्ड बकरामणी थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 24 वर्ष व 02. मो0 मोनिस पुत्र गुलजार अहमद निवासी बेगम वार्ड बकरामणी थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 22 वर्ष को थाना क्षेत्रान्तर्गत रामलीला मैदान बस अड्डा के पास से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-
01-मो0 अलसहाब पुत्र अब्दुल मुबीन निवासी बेगम वार्ड बकरामणी थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 24 वर्ष।
02- मो0 मोनिस पुत्र गुलजार अहमद निवासी बेगम वार्ड बकरामणी थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 22 वर्ष।

पुलिस टीम का विवरण-
उ0नि0 राहुल कुमार मय हमराह का0 सचिन कुमार व का रंजीत कुमार थाना कोतवाली नगर, जनपद प्रतापगढ़।

प्रेस नोट दिनांक 06.01.2026,

थाना दिलीपपुर जनपद प्रतापगढ़।

ई-रिक्शा चालक से लूट के मामले में थाना दिलीपपुर पुलिस को बड़ी सफलता, 04 अभियुक्त गिरफ्त में, मोबाइल, नकदी व मोटरसाइकिल बरामद-
पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ के निर्देशन में ई-रिक्शा लूट की घटना का खुलासा, 04 अभियुक्त गिरफ्तार, 02 अभियुक्त पूर्व में मुठभेड़ में गिरफ्तार-
मिसिद्धीपुर मोड़, थाना दिलीपपुर क्षेत्र से ई-रिक्शा लूट कांड के 04 अभियुक्त पुलिस गिरफ्त में-
पूछताछ में अभियुक्तों ने बताया लूट का तरीका, ई-रिक्शा चालक से हुई वारदात का खुलासा-

घटना का संक्षिप्त विवरण-
दिनांक 03.01.2026 को थाना दिलीपपुर क्षेत्रान्तर्गत ग्राम रामपुर आधारगंज में 01 व्यक्ति से अज्ञात व्यक्तियों द्वारा ई-रिक्शा को सुनसान स्थान पर रुकवाकर तमंचा एवं चाकू दिखाकर ई-रिक्शा की बैटरी, मोबाइल फोन एवं जेब में रखे ₹700/- नगद छीनकर सभी अभियुक्त मौके से फरार हो गए। उक्त प्रकरण में थाना दिलीपपुर पर मु0अ0सं0 03/2026 धारा 309(4) बीएनएस का अभियोग पंजीकृत किया गया था। उक्त अभियोग में धारा 309(4) बीएनएस को धारा 310 (2)/317 (4) बीएनएस में संसोधन कर परिवर्तन किया गया है।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा अपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अ पर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री शैलेन्द्र लाल व क्षेत्राधिकारी पट्टी श्री मनोज कुमार सिंह रघुवंशी के पर्यवेक्षण/ नेतृत्व में थानाध्यक्ष दिलीपपुर श्री बलराम सिंह मय हमराह उ0नि0 रमिल कुमार, उ0नि0 पंकज कुमार वर्मा मय चालक का0 विनोद यादव, का0 जगदीश व कां0 निर्दोष कुमार, का0 राजेश कुमार द्वारा मुखबिर की प्राप्त सूचना पर मु0अ0स0 03/2026 संशोधित धारा 310 (2)/317 (4) बीएनएस थाना दिलीपपुर जनपद प्रतापगढ से संबंधित 04 अभियुक्तों, 01. सुमित सरोज पुत्र बेचू सरोज उम्र करीब 18 वर्ष निवासी ग्राम सराय शेर खां थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ, 02. सूरज उर्फ करन गिरी पुत्र विजय प्रताप गिरी उम्र करीब 18 निवासी ग्राम गोई थाना दिलीपपुर जनपद प्रतापगढ़,03. रवि कुमार पुत्र हरिश्चन्द्र उम्र करीब 20 वर्षनि0 ग्राम गोई थाना दिलीपपुर जनपद प्रतापगढ, 04. रवि दुबे उर्फ देव दुबे पुत्र शास्त्रीचन्द्र दुबे उम्र करीब 24 वर्ष नि0 ग्राम पूरे लोकमन थाना दिलीपपुर जनपद प्रतापगढ को लूट का 01 अदद मोबाईल फोन, लूट के 170/- रुपये नगद, घटना में प्रयुक्त 01 अदद मोटर साईकिल होण्डा साईन के साथ थाना दिलीपपुर क्षेत्रान्तर्गत मिसिद्धीपुर मोड के पास से गिरफ्तार किया गया।

इससे पूर्व दिनांक 05.01.2026 को उक्त अभियोग में पुलिस मुठभेड़ में 02 शातिर अभियुक्तों, 01. लवकुश ओझा पुत्र राकेश ओझा निवासी ग्राम श्रीपुर थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 18 वर्ष, 02. चांद पुत्र रामबृक्ष निवासी ग्राम सराय शेर खान थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 19 वर्ष के दाहिने पैर में लगी गोली/ गिरफ्तार। अभियुक्तों के कब्जे से लूट की 01 अदद ई-रिक्शा की बैटरी एवं 02 अदद देशी तमन्चा 315 बोर, 04 अदद खोखे कारतूस व 02 जिंदा कारतूस 315 बोर बरामद किया गया था।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-
01. सुमित सरोज पुत्र बेचू सरोज उम्र करीब 18 वर्ष निवासी ग्राम सराय शेर खां थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ।

02. सूरज उर्फ करन गिरी पुत्र विजय प्रताप गिरी उम्र करीब 18 निवासी ग्राम गोई थाना दिलीपपुर जनपद प्रतापगढ़।
03. रवि कुमार पुत्र हरिश्चन्द्र उम्र करीब 20 वर्षनि0 ग्राम गोई थाना दिलीपपुर जनपद प्रतापगढ।
04. रवि दुबे उर्फ देव दुबे पुत्र शास्त्रीचन्द्र दुबे उम्र करीब 24 वर्ष नि0 ग्राम पूरे लोकमन थाना दिलीपपुर जनपद प्रतापगढ।

पूछताछ का विवरण-
अभियुक्तों से मोटर साईकिल के बारे मे पूछा गया तो बताये कि यह मोटर साईकिल लूट की घटना में हम लोगो ने प्रयुक्त किया था। यह मोटर साईकिल लवकुश ओझा की है जिसे घटना के दिन से ही सूरज चला रहा है। जिस पर लूट की बैटरी को लादकर ले गये थे। हम लोगो को जानकारी हुई कि घटना उपरोक्त मे शामिल हमारे साथी 1. लवकुश ओझा पुत्र राकेश ओझा निवासी ग्राम श्रीपुर थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ, 2. चांद पुत्र रामवृक्ष निवासी ग्राम सराये शेर खान थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ जिनको पुलिस ने गोली मारकर पकड लिया है। हम लोगो को भी डर लग रहा था कि हम लोगो को ना पुलिस पकड ले इसलिये पकडे जाने के डर आज हम चारो लोग किसी के साथ कोई घटना कर बाहर जाने की फिराक मे थे और घटना कारित कर भाग जाते कि आप लोगो ने हम लोगो को पकड लिया।

मोबाईल के बारे मे पूछने पर बताये कि यह मोबाईल लूट की घटना के समय हम लोगो ने ई रिक्शा चालक से छीना था जिसका सिम निकालकर कहीं फेक दिये थे। तब से अभी तक इसको मैं अपने पास ही रखा हूं। सभी अभियुक्तगणो से बरामद रुपयो के बारे में पूछा गया तो एक स्वर में सभी बताये कि साहब हम लोगो के हिस्से मे बाटने पर 100-100 रुपये आये थे। उन्ही में से कुछ रुपये खर्च हो गये थे जो शेष बचे है वह उसी रिक्शे वाली घटना मे लूटे गये रुपये है।

बरामदगी-
लूट का 01 अदद मोबाईल फोन, लूट के 170/- रुपये नगद, घटना में प्रयुक्त 01 अदद मोटर साईकिल होण्डा साईन बरामद।

पुलिस टीम का विवरण-
थानाध्यक्ष दिलीपपुर श्री बलराम सिंह मय हमराह उ0नि0 रमिल कुमार, उ0नि0 पंकज कुमार वर्मा मय चालक का0 विनोद यादव, का0 जगदीश व कां0 निर्दोष कुमार, का0 राजेश कुमार थाना दिलीपपुर, जनपद प्रतापगढ़।

प्रेस नोट दिनांक 06.01.2026,
थाना बाघराय जनपद प्रतापगढ़।

मोबाइल टावर से बैटरी व केबल चोरी का सफल खुलासा, थाना बाघराय पुलिस द्वारा 03 अभियुक्त को गिरफ्तार किया, चोरी का माल व वाहन बरामद

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के निर्देशन में मोबाइल टावर से बैटरी व पावर केबल चोरी की घटना का सफल अनावरण, थाना बाघराय पुलिस द्वारा 03 अभियुक्त गिरफ्तार, 2 अदद बैटरी एक्साइड कम्पनी की, 02 अदद पावर केबल, घटना में प्रयुक्त 01 अदद मोटर साईकिल बरामद-

थाना बाघराय पुलिस द्वारा क्षेत्रान्तर्गत गलगली मोड़ पुलिया के पास से 03 अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार

घटना का संक्षिप्त विवरण-
वादी निवासी ग्राम कोरही थाना बाघराय जनपद प्रतापगढ़ द्वारा बताया गया कि वह ग्राम भिटारा स्थित टावर की देखरेख हेतु नियुक्त हैं। दिनांक 04/01/2026 की रात्रि में अज्ञात चोरों द्वारा टावरों के गेट व ताले तोड़कर पावर केबल एवं 02 अदद Exide 600AH बैटरियां चोरी कर ली गईं। प्रातः जानकारी करने पर तीन अज्ञात युवकों को मोटरसाइकिल से घूमते देखा गया था। इस संबंध में वादी की तहरीर के आधार पर थाना बाघराय में मु0अ0सं0 005/2026 धारा 331 (4)/305 (e) बीएनएस बनाम अज्ञात का अभियोग पंजीकृत किया गया है।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा अपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री बृजनन्दन राय व क्षेत्राधिकारी सदर श्रीमती करिश्मा गुप्ता के पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी बाघराय श्री श्रवण कुमार नेतृत्व में उ0नि0 विकास प्रधान मय उ0नि0 दिनेश कुमार मय हमराह का0 अंकित कुमार व का0 सौरभ शर्मा मय चालक का० विश्वजीत द्वारा देखभाल क्षेत्र/ तलाश वांछित अपराधी व संदिग्ध व्यक्ति/ वाहनों की चेकिंग मुखबिर की प्राप्त सूचना पर मु0अ0सं0 005/2026 धारा 331 (4)/305 (e) बीएनएस थाना बाघराय जनपद प्रतापगढ से संबंधित 03 अभियुक्तों, 01. अभय पटेल उर्फ वीर पुत्र बाबूलाल पटेल निवासी कानूपुर थाना जेठवारा जनपद प्रतापगढ उम्र करीब 31 वर्ष, 02. धीरज कुमार पटेल पुत्र पारस नाथ पटेल निवासी कानूपुर थाना जेठवारा जनपद प्रतापगढ उम्र करीब 22 वर्ष, 03. विजय कुमार मौर्या पुत्र रमेशचन्द्र मौर्या निवासी नेवाडी थाना जेठवारा जनपद प्रतापगढ उम्र करीब 25 वर्ष को 02 अदद बैटरी एक्साइड कम्पनी की, 02 अदद पावर केबल, घटना में प्रयुक्त 01 अदद मोटर साईकिल के साथ थाना बाघराय क्षेत्रान्तर्गत गलगली मोड पुलिया के पास से गिरफ्तार किया गया।

अभियुक्त के कब्जे से 02 अदद बैटरी एक्साइड कम्पनी की, 02 अदद पावर केबल की बरामदगी के संबंध में उक्त अभियोग में धारा 317(2) की बढ़ोत्तरीकी गई एवं बरामद 01 मोटर साइकिल को अन्तर्गत धारा 207 एमवी एक्ट में सीज किया गया।

पूछताछ का विवरण-
पूछताछ में अभियुक्तों ने एक स्वर में बताया कि एक टुकड़ा पावर केबल भिटारा मोबाइल टावर से व दूसरा टुकड़ा बदली का पुरवा के मोबाइल टावर से ताला तोडकर हम तीनों लोग मिलकर काट कर चुराकर लाये है। बदली पुरवा मोबाइल टावर से चोरी की गयी दो बैटरी के बारे में तीनों अभियुक्त एक साथ बताये कि साधन के अभाव में और पकडे जाने के डर से रात में लाकर यहीं पुलिया के नीचे दोनों बैटरी छिपा दिया है। यदि आप लोग हम लोगों को साथ में ले चले तो हम लोग जहां पर बैटरी छिपाई । अभियुक्तों की निशानदेही पर 02 अदद बैटरी बरामद की गई।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-

01. अभय पटेल उर्फ वीर पुत्र बाबूलाल पटेल निवासी कानूपुर थाना जेठवारा जनपद प्रतापगढ उम्र करीब 31 वर्ष।
02. धीरज कुमार पटेल पुत्र पारस नाथ पटेल निवासी कानूपुर थाना जेठवारा जनपद प्रतापगढ उम्र करीब 22 वर्ष।
03. विजय कुमार मौर्या पुत्र रमेशचन्द्र मौर्या निवासी नेवाडी थाना जेठवारा जनपद प्रतापगढ उम्र करीब 25 वर्ष ।

बरामदगी-
02 अदद बैटरी एक्साइड कम्पनी की, 02 अदद पावर केबल, घटना में प्रयुक्त 01 अदद मोटर साईकिल बरामद ।

पुलिस टीम का विवरण-
उ0नि0 विकास प्रधान मय उ0नि0 दिनेश कुमार मय हमराह का0 अंकित कुमार व का0 सौरभ शर्मा मय चालक का० विश्वजीत थाना बाघराय जनपद प्रतापगढ़।

प्रेस नोट दिनांक 06.01.2026,
थाना फतनपुर जनपद प्रतापगढ़।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के निर्देशन में थाना फतनपुर पुलिस द्वारा सर्विलांस टीम की मदद से थाना फतनपुर क्षेत्रा0 पेट्रोल पम्प पर हुई लूट की घटना से संबंधित ₹25,000/- का ईनामिया अन्तर्जनपदीय अभियुक्त गिरफ्तार

ईनामिया अन्तर्जनपदीय अभियुक्त पर जनपद प्रयागराज, जनपद प्रतापगढ़ में लूट, हत्या का प्रयास, मार-पीट, धमकी जैसे लगभग 05 जघन्य अपराध पंजीकृत है-

घटना का संक्षिप्त विवरण-
वादी निवासी ग्राम जयरामपुर, पोस्ट दुर्गागंज, थाना रानीगंज, जनपद प्रतापगढ़ द्वारा थाना फतनपुर पर तहरीर दी गई थी कि थाना फतनपुर क्षेत्रान्तर्गत दिनांक 02.09.2025 को रात्रि 02 मोटरसाइकिलों से आए 04 अज्ञात व्यक्तियों ने वादी के इण्डियन ऑयल पेट्रोल पंप के कार्यालय में घुसकर वहाँ भोजन बना रहे कर्मचारियों से मारपीट करते हुए कर्मचारी त्रिभुवन के पास से 25,000/- रुपये की नगदी छीन ली तथा बाहर तेल भरवा रहे ग्राहकों से भी मारपीट कर भाग गए। इस संबंध में थाना फतनपुर पर मु0अ0सं0 192/2025, धारा 309(4) भा0न्या0सं0 बनाम दो मोटरसाइकिलों से आए 04 अज्ञात अभियुक्त पंजीकृत किया गया है।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा अपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री शैलेन्द्र लाल व क्षेत्राधिकारी रानीगंज श्री विनय प्रभाकर साहनी के पर्यवेक्षण/ नेतृत्व में थानाध्यक्ष फतनपुर श्री मनीष कुमार त्रिपाठी मय हमराह उ0नि0 श्री राहुल कुमार, हे0का0 सुनील यादव, का0 सुशील पटेल व का0 रोहित यादव द्वारा सर्विलांस सेल के का0 सनोज की मदद से प्राप्त सूचना पर मु0अ0सं0 192/2025, धारा 309(4) भा0न्या0सं0 से संबंधित 25000/-

रुपये का ईनामिया 01 अन्तर्जनपदीय अभियुक्त उदय सिंह यादव पुत्र मिट्ठ यादव उर्फ रामआधार यादव नि०ग्रा0 133/26बी जोधवल पिताम्बर नगर, तेलियरगंज थाना शिवकुटी जनपद प्रयागराज उम्र 28 वर्ष को जनपद प्रयागराज के थाना शिवकुटी क्षेत्रान्तर्गत उसके घर से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार ईनामिया अन्तर्जनपदीय अभियुक्त का विवरण-
अन्तर्जनपदीय अभियुक्त उदय सिंह यादव पुत्र मिट्ठ यादव उर्फ रामआधार यादव नि०ग्रा0 133/26बी जोधवल पिताम्बर नगर, तेलियरगंज थाना शिवकुटी जनपद प्रयागराज उम्र 28 वर्ष।

आपराधिक इतिहास-
01. मु0अ0सं0 422/18, धारा 147/148/149/323/504/506 भा0द0वि0, थाना शिवकुटी, जनपद प्रयागराज।
02. मु0अ0सं0 381/18, धारा 307/386/504/506 भा0द0वि0, थाना शिवकुटी, जनपद प्रयागराज।
03. मु0अ0सं0 115/23, धारा 323/504/506 भा0द0वि0, थाना शिवकुटी, जनपद प्रयागराज।
04. मु0अ0सं0 67/24, धारा 323/506 भा0द0वि0, थाना शिवकुटी, जनपद प्रयागराज।
05. मु0अ0सं0 192/25, धारा 309(4) BNS, थाना फतनपुर, जनपद प्रतापगढ़।

पुलिस टीम का विवरण-
थानाध्यक्ष फतनपुर श्री मनीष कुमार त्रिपाठी मय हमराह उ0नि0 श्री राहुल कुमार, हे0का0 सुनील यादव, का0 सुशील पटेल व का0 रोहित यादव थाना फतनपुर जनपद प्रतापगढ़।

सर्विलांस सेल- का0 सनोज